न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 39 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/36)
पंजीयन दिनांक– 11.02.2021
निर्णय दिनांक– 21.10.2021

1. श्री भगवानलाल पिता श्रीराम उर्फ हरिराम हजूरी, निवासी बड़ाखेडा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री शंकरलाल पिता श्रीराम उर्फ हरिराम हजूरी, निवासी बड़ाखेडा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री ऊंकारलाल पिता श्रीराम उर्फ हरिराम हजुरी, निवासी बडाखेडा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक भट्ट – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री संजय सेन – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगू, के
प्रकरण संख्या 03 / 2020 निर्णय दिनांक 07.08.2020

निर्णय

दिनांक 21.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं, के प्रकरण संख्या 03/2020 निर्णय दिनांक 07.08.2020 के विरूद्ध दिनांक 01.12.2020 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि श्रीमती मूलीबाई पत्नि स्व. लालू हजूरी की मृत्यु दिनांक 19.11.2016 को हो गई है तथा मृतक श्रीमती मूलीबाई पत्नि लालू हजूरी के कोई जाईन्दा औलाद नही है, इसलिए श्रीमती मूलीबाई पत्नि स्व. लालू हजूरी के नाम पर दर्ज ग्राम बडाखेडा की खाता संख्या 113 की आराजी नम्बर 195 एवं 212 से 2019 किता 09 कुल रकबा 5.536 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट के नाम पर कर दी जावें। जिस पर अधीनसथ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2020 निर्णय दिनांक 07.08.2020 से रेसपोडेंट संख्या 1/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.08.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर मौजा ग्राम बडाखेडा की खाता संख्या 113 की आराजी नम्बर 195 एवं 212 से 219 किता 09 कुल रकबा 5.536 हैक्टेयर भूमि मृतक श्रीमती मूलीबाई पत्नि स्व. श्री लालू हजूरी, निवासी बडाखेडा, तहसील बेगूं***

के बजाय श्री उंकारलाल पिता हरीराम जाति हजूरी, निवासी बडाखेडा, तहसील बेगूं, के नाम पर करने हेतु पटवारी हल्का मोतीपुरा को लिखा जावें। आदेश लगान आदि के लिए किया जा रहा है, अगर किसी को भी ऐतराज हो तो सक्षम न्यायालय में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। यह की कृषि भूमि मौजा ग्राम बडाखेडा की खाता संख्या 113 की आराजी नम्बर 195 एवं 212 से 219 किता 09 कुल रकबा 5.536 हैक्टेयर भूमि श्री उंकारलाल पिता हरीराम जाति हजूरी, निवासी बडाखेडा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के नाम पर की जावें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत, मोतीपुरा द्वारा श्रीमती मूलीबाई की कृषि भूमि का नामांतरण संख्या 724 निर्णय दिनांक 10.08.2020 को खोला गया एवं प्रमाणित किया गया है। उक्त पुरा कार्य रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की मिलीभगत से किया गया है तथा रेकार्डेड खातेदार को कोई सुनवाई का अवसर नही देते हुए, गुपचुप तरीके से रेस्पोडेंट संख्या 1 को एक मात्र वारिसान बताकर नामांतरण खोल दिया गया। अपीलांट्स द्वारा प्रकरण में हो रही कार्यवाही को रोका जाने एवं सुनवाई हेतु दिनांक 07.08.2020 को एक आवेद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार के पद पर नियुक्त है को धारा 135 (2) के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने एक तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 22.03.2013 को आधार

मानकर इस पर अंकित गवाह के बयान लेकर निर्णय पारित किया है, जबकि एक गवाह अजनबी है जिसकी गवाही संदिग्ध है, वसीयतनामे पर पहचानकर्ता तथा नोटेरी एवं वसीयतनामा के स्टाम्प विक्रेता एवं वसीयतनामा को टाईप करने वालें के बयान ही नही लिये गये है, जबकि अपंजीकृत वसीयतनामा की पूर्ण जांच की जाना आवश्यक थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र में यह अंकित किया कि उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। श्रीमती मूलीबाई द्वारा सामाजिक रिति रिवाजानुसार समाज के पंचो के समक्ष अपीलांट को गोद लिया था गोद लेने के वक्त अज्ञानता की वजह से किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित नही करवाया था। आवेदन दिनांक 14.08.2017 तक रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज मृतक मूलीबाई के नाम का/के द्वारा निष्पादित नही था, मूलीबाई का निधन दिनांक 19.11.2016 को हो चुका था, अर्थात तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 22.03.2013 को छद्म रिति से कपटपूर्वक छल करके जाली एवं फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि श्रीमती मूलीबाई के कोई जाईन्दा संतान नही होने से मूलीबाई की सेवा चाकरी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा की गई, जिससे प्रसन्न होकर होकर मूलीबाई द्वारा दिनांक 22.03.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में एक वसीयतनाम निष्पादित किया गया था। उक्त वसीयतनामे के आधार पर श्रीमती मूलीबाई पत्नि स्व. लालू हजूरी के नाम पर दर्ज ग्राम बडाखेडा की खाता संख्या 113 की आराजी नम्बर 195 एवं 212 से 2019 किता 09 कुल रकबा 5.536 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.08.2020 से नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं,

द्वारा दिनांक 07.08.2020 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आदेश 41 जा. दीवानी जो अपील से संबंधित है, उसके अनुसार अपील प्रस्तुत करने का अधिकार सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकारों को है, सिवाय इसके कि पक्षकार ने धारा 96 जा. दी. के तहत अपीलीय न्यायालय की अनुमति लेकर ही अपील प्रस्तुत की हो। इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे एवं उन्होंने दफा 96 जा. दी. का आवेदन प्रस्तुत किये बिना यह अपील प्रस्तुत की है जो जाब्ता दीवानी विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है, अतएवं अपील प्रथमतया ही इस आधार पर खारिज योग्य है, द्वितीयतः हम यह पाते हैं कि इस अपील की प्रस्तुति दिनांक 08.12.2020 को प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपीलाण्ट द्वारा सिविल न्यायालय में दिनांक 17.11.2020 को अपीलाधीन प्रकरण से संबंधित वसीयत को निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत कर दिया है अर्थात् अपीलाण्ट द्वारा जब सिविल न्यायालय में वसीयत को निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत कर रखा है तो अपीलाधीन नामान्तकरण की अपील किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलाण्ट दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने एवं अनावश्यक वाद बहुलता बढ़ाने के दृष्टिगत सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर